



Neutral Citation No-2026:AHC:5213

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5004 वर्ष 2025

श्रीकृष्ण याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: इम्तियाज अली

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है: -

"I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, प्रतिपक्षी संख्या-2-निपटान अधिकारी समेकन, जिला कुशीनगर- को आदेश देना ताकि केस संख्या-पर शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके। का/320/2013- 2014, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या-2014540544000001, कृष्णा और अन्य बनाम कन्हैया लाल, उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम, 1953 की धारा 11(1) के तहत स्थापित किया गया है, और वर्तमान में निपटान अधिकारी चकबंदी, जिला कुशीनगर के न्यायालय के समक्ष लंबित है, ऐसी निर्धारित समय सीमा के भीतर, जैसा कि यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझे।



II. न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जैसा कि यह माननीय न्यायालय प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

III. इस रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता को प्रदान करें।

2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम की धारा 11(1) के तहत अपील 2026 से विचाराधीन है, इस तथ्य के बावजूद कि अपील में प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।

3. स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

4. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस निर्देश के साथ कि निपटान अधिकारी समेकन, जिला कुशीनगर (प्रतिपक्षी संख्या-2), जिसके समक्ष उपरोक्त मामला विचाराधीन है, कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा।

5. यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

6 . उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 8, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)